रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 17 फरवरी, 1983/28 माघ, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सी. अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 2 फरवरी, 1983

संख्या जी.ए.डी.(जी.आई.) 6(एफ) 5/78.—पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं० 6) की धारा 6 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल 1227-11 बीघा जमीन, जो पटवार सर्कल दावली नं० 21, कानूनगो सर्कल सैनधार नं० 3, तहसील पछाद, जिला सिरमौर में स्थित है, को पटवार सर्कल नौनी, कानूनगो सर्कल सोलन, तहसील व जिला सोलन में सहर्ष तुरन्त सम्मिलित करने के आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
वे० सी० पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, किन्नौर जिला, कल्पा

आदेश

कल्पा, 3 फरवरी, 1983

नं0 कनर-428/74.—यह कि निरीक्षक पंचायत, निचार, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर की रिपोर्ट के अनुसार श्री गुरू लाल, प्रधान ग्राम पंचायत छौटा-कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने निगुलसारी से छोटा-कम्बा को रास्ता मुरम्मत के मस्ट्रोल में मु0 871 रुपये जाली मस्ट्रोल बना कर खर्च दिखाया तथा रास्ता छोटा कम्बा से नेवल में मु0 2,374 रुपये 75 पैसे का फर्जी मस्ट्रोल बना कर खर्च दिखाया तथा दिनांक 4-6-1976 को मु0 1,500 रुपये डाक घर निचार से राशि प्राप्त की और इस राशि को न ही रोकड़ में दर्ज किया और न ही इसके खर्चे का पता है। मु0 4,251 रुपये नकद शेष प्रधान ने अपने पास रखा तथा जांच के दौरान यह राशि प्रस्तुत नहीं कर पाया न ही प्रधान नकद शेष रखने का अधिकारी था इस प्रकार श्री गुरू लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत छोटा-कम्बा ने मु08,996 रुपये 75 पैसे का दुरुपयोग किया जिस में से मु0 871 रुपये निरीक्षक ने जांच के समय वसूल कर पंचायत फण्ड में जमा किया;

यह कि इस सम्बन्ध में श्री गुरू लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत छोटा कम्बा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या कनर-428/74, दिनांक 15 सितम्बर, 1982 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उनके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

यह कि श्री गुरू लाल का उत्तर उप-सम्भागीय अधिकारी (ना), निचार की टिप्पणी सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। गुरू लाल प्रधान के उत्तर तथा उप-सम्भागीय अधिकारी (ना), निचार की टिप्पणी पर विचार किया गया और उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया तथा श्री गुरू लाल के विरूद्ध इस सम्बन्ध में पुलिस में अभियोग भी दर्ज कर दिया गया है;

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तव, उपायुक्त, जिला किन्नौर, इस मामले की छान-बीन करके सभी बातों का ध्यान रखते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री गुरू लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत छोटा कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि उक्त प्रधान अपने प्रधान कार्य का भार तथा उसके पास पंचायत की सम्पति चल व अचल, नकद या अन्य रूप में जो भी हो शीघ्र आदेश मिलते ही उप-प्रधान ग्राम पंचायत छोटा-कम्बा को हस्तान्तरि करें तथा श्री गुरू लाल, प्रधान (निलम्बित) इस आदेश प्राप्ति के तुरन्त बाद ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

विवेक श्रीवास्तव,
उपायुक्त, जिला किन्नौर, कल्पा।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 5 फरवरी, 1983

संख्या पी.सी.एच.-एच. ए.(5)-78/80.—जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा की सूचना के मुताबिक श्रीमती सावित्री देवी, महिला पंच, ग्राम पंचायत अम्बाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों से जनवरी, 1982 से लगातार अनुपस्थित रह रही है क्योंकि वह देहली में सरकारी नौकरी में लग गई है।

और क्योंकि उक्त पंच हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) के अन्तर्गत अपने पद पर नहीं रह सकती ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सावित्री देवी को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के पंच पद से निष्कासित किया जाये । उनका उत्तर इस बारे में इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर इस निदेशालय में जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा के माध्यम से पहुंच जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहतीं और तदोपरान्त आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।